न्यायालयः राकेश कुमार–III
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल
जमानत आवेदन सं0 – 521 / 2026
जदिया थाना कांड सं0– 276 / 2022

	करण कुमार उर्फ करण टाईगर **सा0– लक्षमिनियॉ, वार्ड नं0 09, थाना– त्रिवेणीगंज, जिला–सुपौल.....आवेदक** **बनाम्** **बिहार सरकार.....विपक्षी**	
28/07/26	कराधीन अभियुक्त करण कुमार उर्फ करण टाईगर की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री रशिकलाल यादव द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन से पूर्व अन्य कोई भी जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी अभियुक्त को ग्रामीण राजनीति के तहत् झूठा मुकदमा में फंसाया गया है। प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध इस मुकदमा के अलावे 7 मुकदमा लंबित है। प्रस्तुत मुकदमा में प्राथमिकी अज्ञात व्यक्ति पर दर्ज किया गया है तथा इसका नाम अभियुक्त का स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आया है। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 02 / 11 / 2023 से न्यायिक अभिरक्षा में है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्त सक्षम जमानतदार देने एवं न्यायालय की हर शर्त मानने को तैयार है, अतः उसे जमानत पर मुक्त किया जाय। विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री अबू जफर द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थी अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन खारिज किया जाय। प्रस्तुत वाद सूचक, सुमन कुमार सिंह के लिखित आवेदन के आधार पर 3 अज्ञात धारा 392 भा0दं0वि0 के अंतर्गत दर्ज किया गया। सूचक का संक्षेप में कथन है कि वो दिनांक 18 / 10 / 22 को हीरो कंपनी के स्पलेंडर पल्स मोटरसाईकिल BR38AA6489 से पिपरा बाजार से अपने घर जा रहा था। उसी क्रम में समय 07.45 बजे शाम में वह जदिया के राजगांव मोड़ से करीब 100 मीटर आगे राजेश्वरी की ओर जाने वाली पक्की सड़क पर पहूँचा तो सूचक के पीछे से एक पल्सर मोटरसाईकिल पर सवार तीन अज्ञात व्यक्ति सूचक को हल्का धक्का मार दिया जिससे वह अनियंत्रित होकर रोड पर गिर गया। पल्सर मोटरसाईकिल के पीछे बैठा व्यक्ति उतर कर सूचक के पास आया तथा हथियार का भय दिखा कर सूचक का मोटरसाईकिल छीन लिया तथा तीनो जदिया की ओर गया। सूचक ने बताया कि उक्त मोटरसाईकिल उनके परिचित कंचन देवी पति पवन चौपाल के नाम से है। सुना एवं अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। कंडिका 3 में वादी का पुनः बयान है जिसने घटना का समर्थन किया है और यह भी बताया है कि मोटरसाईकिल की डिक्की में कंचन कुमारी के नाम की ऑनर बुक, इन्शोरेन्स कोपी तथा अन्य कागजातों की छायाप्रति भी था। कंडिका 7, 8 एवं 9 में साक्षीगण क्रमशः रमण सिंह, महेश कुमार एवं भवेश सिंह का बयान दर्ज है उन्होंने भी अपने बयानों में घटना का समर्थन किया है। कंडिका 21 से प्रतीत होता है कि दिनांक	**लगातार**

28/07/26 **लगातार**	17/11/22 की घटना को लेकर जो जदिया थाना अंतर्गत एक घटना के अनुसंधान के क्रम में एक मोटरसाईकिल और कुछ सामान की बरामदगी के साथ साथ 3 अभियुक्तों की गिरफतारी हुई थी उसमें एक सह अभियुक्त प्रशांत कुमार ने स्वीकारोक्ति बयान में इस कांड जदिया थाना कांड सं0 276/22 की घटना के में संलिप्तता के बारे में भी खुलाशा किया है जिसमें आवेदक अभियुक्त करण कुमार उर्फ करण टाईगर की भी संलिप्तता बतायी। कंडिका 24 से प्रतीत होता है कि जदिया थाना कांड सं0 276/22 की जब्ती सूची है जिसमें कथित रूप से इस मामलें के वादी की मोटरसाईकिल में रखा कागजात मोटरसाईकिल नंबर BR38AA6489 की छायाप्रति और इन्शोरेंस का छायाप्रति भी बरामद हुआ। कंडिका 52 से प्रतीत होता है कि सह अभियुक्त राजा कुमार को त्रिवेणीगंज थाना कांड सं0 126/23 में गिरफतार हुआ था और फिर उसी आधार पर प्रार्थी करण कुमार उर्फ करण टाईगर एवं अन्य सह अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 392, 411 भा0दं0वि0 के तहत समर्पित किया गया। पूरक अनुसंधान के दौरान पूरक कांड दैनिक के कंडिका 25 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रार्थी अभियुक्त एवं अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध मामले को सत्य पाते हुए प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध अनूपूरक आरोप पत्र सं0 254/23 दिनांक 19/10/23 समर्पित किया जा चुका है एवं सह अभियुक्तगण के विरुद्ध पूरक आरोप पत्र समर्पित किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रार्थी अभियुक्तगण के विरुद्ध विभिन्न–विभिन्न तरह के सात मामलों का आपराधिक इतिहास भी है जो इस प्रकार है :–**1. पिपरा थाना कांड सं0–327/22, 2. किशनपुर थाना कांड सं0 101/23, 3. किशनपुर थाना कांड सं0 134/23, 4. त्रिवेणीगंज थाना कांड सं0 126/23, 5. त्रिवेणीगंज थाना कांड सं0 188/23 6. त्रिवेणीगंज थाना कांड सं0 489/22 7. जदिया थाना कांड सं0 276/22 दर्ज बताया गया है।** अभिलेख एवं कांड दैनिकी से विदित होता है कि प्रार्थी अभियुक्त आपराधिक किस्म का व्यक्ति है एवं प्रार्थी अभियुक्त आधतन/पेशेवर अपराधी है। अभिलेख एंव कांड दैनिकी में प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मौजद है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं प्रार्थी अभियुक्त का आपराधिक इतिहास को देखते हुए उसे जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार **प्रार्थी अभियुक्त करण कुमार उर्फ करण टाईगर की ओर से दाखिल जमानत आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। साथ ही वाद की प्रकृति एवं अभियुक्त के काराधीन अवस्था को दृष्टिगत देखते हुए संबंधित विद्वान न्यायालय को प्रस्तुत वाद का विचारण एवं निस्तारण, आदेश प्राप्ति की तिथि से छः माह के अंदर करने का निर्देश दिया जाता है।** लेखापित (राकेश कुमार–III) अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय सुपौल	